(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 42/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 30 अगस्त, 2017

सा0का0नि0 (अ)- अभिहित प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स" (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 84834000, 85030010 या 85030090 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 28 जुलाई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/28/2013-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(क) भारत को संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात, सामान्य मूल्यों से कम पर किया जा रहा है;

(ख) संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है;

(ग) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है,

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (8) में

निर्दिष्ट राशि के अनुसार परिकलित पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा और पहले से ही देय सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क के बीच के अंतर की राशि का शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

सारणी

क्र. सं.	**उपशीर्ष - अथवा टैरिफ की मद**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूल देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**शुल्क की राशि पहुंच मूल्य के प्रतिशत के रूप में**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	84834000, 85030090 या 85030010	पवन चालित विद्युत जेनरेटर्स	चीन जन.गण	चीन जन.गण	डालियन हुआरूइ हैवी इंडस्ट्री कॉस्टिंग कं. लि.	डालियन हुआरूइ हैवी इंडस्ट्री कॉस्टिंग कं. लि.	18.48
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जेझियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजी कं. लि.	जेझियांग जियाली विंड पावर टैक्नोलॉजी कं. लि.	6.27
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियानशू सिनोजीत विंड एनर्जी टैक्नोलॉजी कं. लि.	जियानशू सिनोजीत विंड एनर्जी टैक्नोलॉजी कं. लि., अथवा टैकटोन एच के, लि.	14.44
4.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	चांगझोऊ सिनोजीत विंड एनर्जी टैक्नोलॉजी कं. लि.	-वही-	14.44
5.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांगयिन हेंगहुआ मशीनरी कं., लि. जियांगयिन सिटी	-वही-	14.44
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांगयिन ऑक्सिंग	-वही-	14.44

					टैक्नोलॉजी कं. लि., जियांगयिन सिटी		
7.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांगयिन चांगलिंग न्यू एनर्जी कं., लि. वूक्सी सिटी जियांगशू	-वही-	14.44
8.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	नाटोंग होंगडे मेकेनिकल कं. लि.	नाटोंग होंगडे मेकेनिकल कं. लि.	18.64
9.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	कोईजुमी मशीनरी कं. लि.	-वही-	18.64
10.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांगशू फॉवफाउन्ड्री कं. लि.	जियांगशू फॉवफाउन्ड्री कं. लि.	28.83
11.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	यीओंग गुआंद एनर्जी टैक. ग्रुप कंपनी लिमिटेड	निंगबो येओंग शांग कॉस्टिंग आयरन कं. लि., अथवा येओंग चेन एशिया पेसिफिक कं. लि.	15.46
12.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	डोंगगुआन येओंग गुआंग मोल्ड फैक्ट्री कं. लि.	-वही-	15.46
13.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	जियांगशू ब्राइट स्टील फाइन मशीनरी कं. लि.	-वही-	15.46
14.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	निंगबो लू लिन मशीन टूल फाउड्री कं. लि.	-वही-	15.46
15.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	निंगबो यूओंग शांग कॉस्टिंग आयरन कं. लि.	-वही-	15.46
16.	-वही-	-वही-	चीन	चीन	येओंग चेन एशिया	-वही-	15.46

			जन.गण	जन.गण	पेसिफिक कं. लि.		
17.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	क्र. सं. 1 से 16 से इतर अन्य कोई संयोजन		35.92
18.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	कोई	कोई	35.92
19.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण	कोई	कोई	35.92

नोट -

(i) वर्तमान अधिसूचना के प्रयोजनार्थ हवा से प्रचालित विद्युतीय जेनेरेटर्स का अभिप्राय "विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स की कास्टिंग्स, जिसे विंडमिल्स अथवा विंड टर्बाईन्स के लिए चाहे वह मशीनकृत है अथवा नही, अपरिष्कृत है अथवा तैयार है या सब-असेम्बल्ड रूप में है अथवा सब-असेम्बली के एक भाग के रूप में है या विंड आपरेटिड इलेक्ट्रीसिटी जेनेरेटर्स के निमित्त एक उपस्कर/संघटक के रूप में है, के लिए कास्टिंग्स के रूप में भी जाना जाता है" से है।

(ii) सीमा शुल्क की विभाग की दिनांक 19 जनवरी, 2016 की सीमा शुल्क सीमा अधिसूचना सं0 1/2016-सीमा शुल्क (सीवीडी) द्वारा विंड आपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर्स की कास्टिंग, चाहे वह मशीनीकृत है अथवा नहीं, अपरिष्कृत है अथवा तैयार है, अथवा सब असेम्बलड रूप में है, अथवा एक सब असेम्बली के एक भाग के रूप में हैं या विंड आपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर्स के निमत्त एक उपस्कर /संगघटक के रूप में है, पर सब्सिडी रोधी//प्रतिकारी शुल्क पहले से ही लागू है।

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

[फा.सं. 354/233/2016-टीआरयू)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार